बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित समेकित बाल विकास योजना जिले में सन् 1981–82 में प्रारम्भ की गयी। प्रारम्भ में मात्र 01 विकास खण्डों में यह योजना सफलतापूर्वक संचालित होने का बाद आज समस्त 19 विकास खण्ड एवं शहर में संचालित है। इस योजना द्वारा निम्न सेवाएँ प्रदान की जाती है।

सेवाएँ

1. पूरक पोषाहार
2. टीकाकरण
3. स्वास्थ्य जाँच
4. सन्दर्भन सेवा
5. स्कूल पूर्व शिक्षा
6. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा

लाभार्थी

उक्त योजना के लाभार्थी निम्न है–

1. 06 वर्ष तक बच्चे
2. किशोरी बालिकाएँ
3. गर्भवती/धात्री माताएँ

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
हरदोई

राज्य पोषण मिशन/पोषण अभियान

एक परिचय

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों व गर्भवती महिलाओं में व्याप्त कुपोषण को समाप्त करने हेतु नवम्बर, 2014 में राज्य पोषण मिशन का प्रारम्भ किया गया। जिसके अन्तर्गत 0–5 वर्ष के बच्चों में व्याप्त कुपोषण व गर्भवती महिलाओं में खून की कमी से होने वाली समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी बीच अक्टूबर, 2017 में वजन दिवस का आयोजन कर पुनः 0–5 वर्ष के बच्चों का वजन किया गया, जिसमें जनपद में 0–03 वर्ष के 22243 व 03 से 05 वर्ष 11489 बच्चे लाल श्रेणी (अतिकुपोषित) तथा 0–03 वर्ष के 61920 व 03 से 05 वर्ष 41777 बच्चे पीली श्रेणी (कुपोषित) चिन्हित किये। माह सितम्बर,2018 में किये सर्वेक्षण कार्य में कुल 0–05 वर्ष के 16111 बच्चे लाल श्रेणी में व 78574 बच्चे पीली श्रेणी (कुपोषित) चिन्हित किये गये। जनपद में 0–5 वर्ष के बच्चों में व्याप्त कुपोषण को समाप्त करने हेतु मिशन 120 प्रथम चरण के अन्तर्गत चयनित 120 राजस्व ग्राम कुपोषण मुक्त हो जाने के फलस्वरूप माह नवम्बर,2018 में पुनः जिलाधिकारी महोदय के निर्देश क्रम में पुनः मिशन 120 द्वितीय चरण आरम्भ किया गया है। जिसके अन्तर्गत 120 राजस्व गॉव का चयन करते हुए जनपद स्तर के 60 अधिकारियों को दो–दो राजस्व गॉव गोद दिये गये। जिनके द्वारा आवंटित ग्रामों में आयोजित ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवसों का निरीक्षण/भ्रमण जाता है तथा अभिभावकों को बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण के सम्बन्ध में आवश्यक परामर्श दिये जाते है।

उ0प्र0 सरकार द्वारा दिनॉक 25 अगस्त,2018 को पोषण अभियान का शुभारम्भ किया गया है। जिसके अन्तर्गत राज्य पोषण मिशन को समाहित किया गया है। पोषण अभियान के अन्तर्गत बच्चों में व्याप्त कुपोषण व गर्भवती महिलाओं के स्तर में सुधार हेतु कार्यवाही की जा रही है। पोषण अभियान के अन्तर्गत शासन के निर्देश क्रम में जनपद में कुल 38 राजस्व ग्रामों का चयन सुपोषित गॉव के रूप में किया गया है, जिन्हें जून,2019 तक सुपोषित किया जाना है। जुलाई,2019 तक कुल 22 राजस्व ग्राम सुपोषित किये जा चुके है।

Buddhi

जिला कार्यक्रम अधिकारी,

हरदोई

सुपोषित गॉव

सुपोषित गॉव शासन द्वारा चलायी जा रही कुपोषण मुक्त गॉव की संकल्पना का संशोधित रूप है। सुपोषित गॉव घोषित करने के लिए 02 कोर एवं 09 आवश्यक मानक है। इन मानकों की पूर्ति अनिवर्य है, ये मानक विभिन्न कन्वर्जेन्स विभागों से जुड़े है। सुपोषित गॉव के मानक निम्नानुसार है।

(क) कोर मानकः—

1. ऐसे राजस्व ग्राम जहॉ 0—5 वर्ष का कोई भी बच्चा सैम अथवा मैम (वजन की लाल/पीली श्रेणी) में न आता हो।
2. ऐसे राजस्व ग्राम जहॉ 90 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में गर्भावस्था के प्रथम त्रैमास में अपना पंजीकरण कराया है एवं आखरी त्रैमास में 10 प्रतिशत से अधिक महिलाएँ एनीमिया से ग्रसित न हों।

(ख) आवश्यक मानकः—

1. 90 प्रतिशत सैम, मैम व कुपोषित बच्चों के घर प्रत्येक माह कार्यकर्त्री द्वारा भ्रमण किया गया हैं
2. सैम व मैम बच्चों की हर त्रैमास में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य जॉच की गयी है।
3. 90 प्रतिशत लाभार्थी का एम0सी0पी0 कार्ड भरा हो।
4. 90 प्रतिशत किशोरियों ने पिछले छः माह में कम से कम 24 आयरन की गोली ली हो।
5. कार्यकर्त्रियों ने स्थानीय खाद्य पदार्थ, गुड़—चना, सहजन, ऑवला आदि का सेवन करने के लिये गतिविधियों का आयोजन किया जाता हो।
6. लगभग 90 प्रतिशत लाभार्थियों को पुष्टाहार प्रत्येक माह नियत तिथि पर वितरित किया हो।
7. 90 प्रतिशत सैम/मैम परिवारों को प्रत्येक माह निर्धारित मात्रा में राशन मिल रहा हो।
8. 90 प्रतिशत सैम/मैम एवं कुपोषित परिवारों को मनरेगा से रोजगार मिला हो।
9. जहॉ पर पिछले छः माह में कम से कम 30 सामुदायिक आधारित गतिविधियो का आयोजन केन्द्र पर हुआ हो।

उक्त गॉव सुपोषित गॉव बनाने की अवधि छः माह होगी।

Buddhi

जिला कार्यक्रम अधिकारी
बाल विकास परियोजना
हरदोई

जनपद में मिशन – 120 (प्रथम एवं द्वितीय चरण) के अन्तर्गत कुपोषण मुक्त बनाये गये ग्राम का विवरण।

क्र0सं0	मिशन 120 (प्रथम चरण) के अन्तर्गत चयनित राजस्व ग्रामों की संख्या	मिशन 120 (प्रथम चरण) के अन्तर्गत चयनित अतिकुपोषित बच्चों की संख्या	मिशन 120 (प्रथम चरण) के अन्तर्गत कुपोषण मुक्त बनाये गये राजस्व ग्रामों की संख्या	मिशन 120 (प्रथम चरण) के अन्तर्गत कुपोषण मुक्त (लाल से पीली श्रेणी में लाये गये) अतिकुपोषित बच्चों की संख्या
1.	120	2114	120	2114

क्र0सं0	मिशन 120 (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत चयनित राजस्व ग्रामों की संख्या	मिशन 120 (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत चयनित अतिकुपोषित बच्चों की संख्या	मिशन 120 (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत कुपोषण मुक्त बनाये गये राजस्व ग्रामों की संख्या	मिशन 120 (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत कुपोषण मुक्त (लाल से पीली श्रेणी में लाये गये) अतिकुपोषित बच्चों की संख्या
2.	120	1305	120	1284

Buddhi

जिला कार्यक्रम अधिकारी
बाल विकास परियोजना
हरदोई

जनपद स्तर पर कार्यरत अधिकारी का विवरण

1. नाम	:–	श्रीमती बुद्धि मिश्रा
2. पदनाम	:–	जिला कार्यक्रम अधिकारी
3. कार्यालय	:–	जिला कार्यक्रम अधिकारी, कार्यालय, हरदोई।
4. मोवाइल नम्बर	:–	9450890824
5. पुरस्कार का संक्षिप्त विवरण	:–	पोषण अभियान के अन्तर्गत उल्लेखनीय कार्य हेतु जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे जी को भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया।

Budh.

जिला कार्यक्रम अधिकारी
बाल विकास परियोजना
हरदोई